न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 13/17 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2017/00066

उनवान

विजेन्द्र पुत्र श्री रामचरन जाति जाटव निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. उत्तम पुत्र रोशन जाति जाटव निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. कल्ला } पुत्रगण धोलू जाति धोबी निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. मनीराम }
4. रामश्री वेवा रोशन
5. रामस्वरूप पुत्र रोशन } जाति जाटव निवासी कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
6. रमेश पुत्र रोशन
7. प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कंचनपुर जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दि0 28.02.2017 प्र.सं. 89/13 उनवानी उत्तम बनाम बिजेन्द्र।

उपस्थित :–

1. श्री जानकी प्रसाद शर्मा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–24.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी परिशिष्ट क व परिशिष्ट ख वाके ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी में स्थित है। मद संख्या 02 में सजरा फरीकेन प्रस्तुत किया है। मुताबिक सजरा विवादित आराजी अन्य खसरा नम्बर 1709, 1715, 1720, 1722, 1725 का पूर्व खातेदार वादी रैस्पो0 संख्या 01 का बाबा तथा प्रतिवादी अपीलाण्ट के पिता का बाबा मुरली पुत्र डोला था। जिनकी मृत्यु अर्सा करीब 50 वर्ष पूर्व हो गयी है। उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी विरासतन उनके दोंनों पुत्र दौजी व रोशन पर वहिस्सा बराबर प्राप्त हुयी। वादी रैस्पो0 संख्या 01 के पिता रोशन की मृत्यु हो जाने पर विवादित आराजी व अन्य आराजी में रोशन का जो 1/2 हिस्सा था वह विरासतन वादी रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04, 05, 06 को वहिस्सा बराबर प्राप्त हुयी। वादी

भू-प्रबंध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर धौलपुर

रैस्पो० संख्या 01 के पिता के भाई दौजी की मृत्यु हो जाने पर दौजी का विवादित आराजी में व अन्य आराजी में प्राप्त 1/2 हिस्सा उसके एक मात्र पुत्र रामचरन को प्राप्त हुआ। रामचरन की मृत्यु हो जाने पर रामचरन का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ और इसी अनुसार वादी रैस्पो० संख्या 01 और प्रतिवादी अपीलाण्ट व अन्य रैस्पो० विवादित आराजी व अन्य आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। दिनांक 01.07.2013 को जब वादी रैस्पो० संख्या 01 विवादित आराजी अपने हिस्से की देखभाल कर रहा था। तभी प्रतिवादी अपीलाण्ट व अन्य रैस्पो० आये एवं धमकी दी कि हम तुम्हे विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देंगें। वादी रैस्पो० संख्या 01 ने जब कारण पूछा तो उन्होंनें कहा कि राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी हमारे नाम है। तथा अन्य रैस्पो० ने कहा कि विवादित आराजी को हमने प्रतिवादी अपीलाण्ट से खरीद लिया है। वादी रैस्पो० संख्या 01 ने जब राजस्व अभिलेख की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी व अन्य आराजी का जो खाता वादी रैस्पो० संख्या 01 के बाबा मुरली के नाम था उस खाते को दौराने बन्दोबस्त, बन्दोबस्त कर्मचारियो से साज कर प्रतिवादी अपीलाण्ट के बाबा दौजी ने विवादित आराजी व अन्य आराजी को अकेले अपने नाम करा लिये तथा अन्य जो आराजी थी उसका खाता अपने व अपने भाई रोशन के नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी वादी रैस्पो० संख्या 01 को नहीं हो सकी। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी परिशिष्ठ क में प्राप्त अपने हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 02 व 03 को कर दिया, जो प्रारम्भ से ही नल एण्ड बोईड है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2017 से आंशित डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो० एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो० बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि वादी रैस्पो० संख्या 01 ने अधूरा दावा प्रस्तुत किया है। वादी रैस्पो० संख्या 01 ने पूर्वजो की अन्य खातेदारी की आराजी को शामिल नहीं किया है। खाता संख्या 168 मौजा कंचनपुर व दीगर आराजी को शामिल ही नहीं किया। इसी प्रकार मुरली की पुत्रियो का सजरा में नहीं दिखाया। उनके रहते दावा नुक्स अदम फरीक जरूरी का दोष है। वादी रैस्पो० संख्या 01 ने दावे में अपनी बहनो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। उनके रहते दावा चलने योग्य नहीं था। विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट एक अर्सा करीब 100 वर्षो से जरिये अपने पिता व बाबा चला आ रहा है। जब वादी रैस्पो० संख्या 01 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो वह विभाजन कराने का भी अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 को आंशिक तौर पर वादी रैस्पो० के पक्ष में गलत तय किया है। अपीलाण्ट ने अपने कब्जे को सावित करने हेतु लगान की रसीदे प्रस्तुत की गयी हैं। वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार मुरली होना किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाह जवाहर सिंह व कल्ला के बयानो को नहीं पढा। स्वंय वादी रैस्पो० संख्या 01

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व [illegible] प्राधिकरण

ने स्वीकार किया है कि उसके बाबा उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे तथा स्वयं की एक बहन होना भी स्वीकार किया है। परन्तु उसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया। इस प्रकार वादी रैस्पो0 ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर दावा वादी रैस्पो0 संख्या 01 आंशिक रूप से डिक्री किये जाने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1992 पेज 124 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट ने केवल तकनीकी आपत्तियों पर बहस की गयी है। जबकि गुणावगुण पर मौन रहे हैं। अपीलाण्ट अपने जवाब दावा में मुरली की मृत्यु लगभग 100 वर्ष पूर्व होना कथन करते हैं। अर्थात मुरली की मृत्यु के बाद ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आया। मुरली की पुत्रियों की मृत्यु हो जाना रैस्पो0 उत्तम ने अपनी मौखिक साक्ष्य की जिरह में अंकित कराया है। अतः मुरली की पुत्रियों के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। वैसे भी यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो वह पृथक से वाद दायर करने को स्वतंत्र हैं। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार मुरली बल्द डरोला थे। मुरली की दो संताने दौजी व रोशन हुयी। साविक खसरा नम्बरान के नये नम्बर बनाते हुये बंदोबस्त विभाग ने दो खातो में इंद्राज किये हैं। चूंकि मुरली के दो पुत्र थे। अतः बन्दोबस्त विभाग को विवादित आराजी में दोनों को वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार अंकित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। बल्कि मुरली के एक पुत्र दौजी के नाम खाते का इंद्राज किया गया है। विधि अनुसार बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इंद्राज बदलने के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की प्रत्येक तनकी का कारण सहित, विस्तार से विवेचना करते हुये तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। दौराने बहस अपीलाण्ट यह नहीं बता पाये हैं कि अधीनस्थ न्याययालय का अपीलाधीन आदेश किस प्रकार विधि विरूद्ध है। केवल तकनीकी आपत्तियों के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू-प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर